न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2754–दो/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.8.2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 65/निगरानी/2000–2001.

बदन सिंह पुत्र श्री सूबे सिंह
जाति किरार ठाकुर निवासी ग्राम
जींगनी तहसील व जिला मुरैना
मध्यप्रदेश

--- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन --- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़
अनावेदक अधिवक्ता श्री डी0एस0 शुक्ला

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17-11-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 65/निगरानी/2000–2001 में पारित आदेश दिनांक 28.8.2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक बदन सिंह पुत्र श्री सूवेसिंह ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(2) के अन्तर्गत दिनांक 3.4.95 को एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी मुरैना को प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि ग्राम जींगनी तहसील मुरैना की भूमि

सर्वे न0 925 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा व 3159 रकवा 9 बीघा 6 विस्वा शासकीय अभिलेख में चरनोई अंकित है । आवेदक बदनसिंह द्वारा आवेदन में यह भी बताया गया है कि उक्त भूमि के उसके पूर्वज भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी थे और उनके बाद वह सर्वे न0 925 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा में से रकवा 1 बीघा विस्वा तथा सर्वे न0 3159 रकवा 9 बीघा 6 विस्वा में से 10 विस्वा यानि कुल रकवा 1 बीघा 15 विस्वा पर काविज होकर कास्त कर रहा है । आवेदक द्वारा मांग की गई है कि उक्त भूमि पर भूमिस्वामी अंकित किया जावे और शासकीय अभिलेख में चरनोई के रूप में जो इन्द्रांज गलत अंकित है उसे निरस्त किया जावे, इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने जांच हेतु नायव तहसीलदार मुरैना को प्रतिवेदन भेजा । नायव तहसीलदार द्वारा ग्राम जींगनी में आवेदक की भूमि का निरीक्षण किया तथा पंचनामा बनाया गया एवं आवेदक बदनसिंह के कथन लेकर 6 गवाहों के कथन लिये गये जिनके नाम अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में अंकित हैं। आवेदक बदनसिंह एवं गवाहों द्वारा बताया गया है कि आवेदक पूर्वकाल से ही उक्त भूमि पर काश्तकारी करता चला आ रहा है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन प्र0क0 6/94-95/अ-1 में दर्ज कर धारा 57(2) के तहत आवेदक बदनसिंह का भूमि स्वामी मानते हुये नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदक बदन सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया उक्त कारण बताओ नोटिस का आवेदक द्वारा दिनांक 23.6.98 जबाव प्रस्तुत किया। कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 62/97-98/स्व0 निगरानी में पारित आदेश कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया, इससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में निगरानी प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त मुरैना द्वारा निगरानी खारिज की जाकर कलेक्टर जिला मुरैना का

आदेश पूर्ण विधि सम्मत होने से स्थिर रखा, इसी के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक को जो नोटिस जारी किया गया था उसका जवाब आवेदक द्वारा दिया गया है और उक्त नोटिस में आवेदक द्वारा यही निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा कोई कुचक्र नहीं रचा गया है क्यों कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 6/94–95/अ–1 में पारित आदेश दिनांक 16.8.96 द्वारा आवेदक का आवेदन धारा 57(2) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर भूमिस्वामी स्वत्व के रूप में नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है वह विधिसंगत है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर महोदय का आदेश एवं अपर आयुक्त महोदय का आदेश निरस्त किया जावे ।

5– शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यही कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो धारा 57 (2) आवेदन स्वीकार किया गया है वह अनुविभागीय अधिकारी महोदय के अधिकारिता से बाहर है । उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर महोदय एवं अपर आयुक्त महोदय का समवर्ती आदेश होने से निगरानी निरस्त की जावे ।

6– मेरे द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश का अध्ययन किया गया। कलेक्टर द्वारा अपने आदेश के पैरा 5 में विस्तार से विवरण किया गया है इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है । उनके द्वारा अपने आदेश कंण्डिका 4 में लेख किया गया है कि प्र0 क0 6/94–95/अ–1 को

संबंधित न्यायालय में प्रभारी अधिकारी स्था0–1 को तलब किया गया किन्तु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका और बिना अभिलेख के ही इसमें आदेश पारित किया गया।

7– मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा वारीकी से अध्ययन किया गया । इससे मैं यह पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को लाभ पहुंचाने की नियत से कार्यवाही गोपनीय ढंग से की गई है तथा शासन की वेशकीमती भूमि हड़पने का कुचक्र किया गया है क्यों कि उक्त अनुविभागीय अधिकारी मुरैना का प्रकरण अभिलेखागार में भी उपलब्ध नहीं है। वैसे भी कब्जा के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार से शासकीय भूमि को अंतरित करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है ।

8–उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि कलेक्टर जिला मुरैना का प्रकरण कमांक 62/97–98/स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.11.2000 एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 65/2000–2001 निगरानी में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28.8.2002 पूर्ण विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर